न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 192/2024 निर्णय दिनांकः 23.02.2026
ऑनलाईन नंबर 2024/398

उदाराम पुत्र बजरंगलाल जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 2. ईशरराम 3. राधाकिशन 4. नौरंगलाल पुत्रगण बजरंगलाल जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 5. प्रेमप्रकाश पुत्र किशनाराम जाति महिया निवासी अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ 7. हडमानाराम 8. चुन्नीलाल 9. पार्वती पुत्र/पुत्रीया स्व. रेवन्तराम जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 10. जेठी पत्नि स्व. रेवन्तराम जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ 11. अर्जूनराम 12. लिच्छुराम 13. मोहनी पुत्र/पुत्री बजरंगलाल जाति जाट निवासी जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 13
3. श्री हेमराज सोनी अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9 व 11 ता 12
4. श्री सुखदेव व्यास अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 10
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

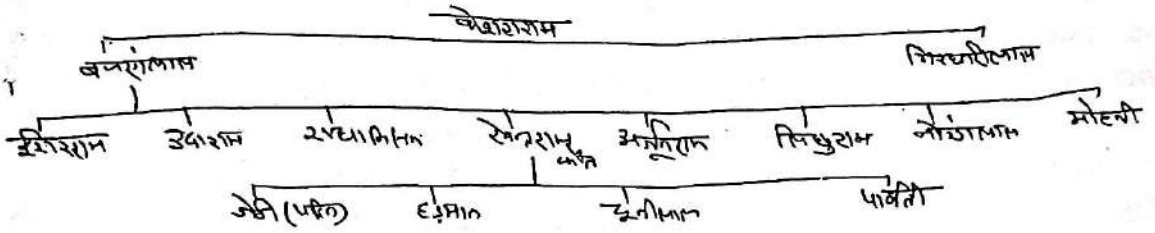

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नलिखित प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को वादी व अप्रार्थीगण को प्रतिवादीगण भी सम्बोधित किया गया है। वादी की वशांवली निम्न प्रकार से हैः—

वादगत खेत वादी के दादा केशराराम [illegible] जाति जाट निवासी जैसलसर की खातेदारी के स्थित है। खेत खसरा न. 99 ताद[illegible] बीघा 11 बीस्वा वाके रोही जैसलसर वादी के दादा केशराराम की खातेदारी की [illegible] खेत के नये खसरा न. 261 तादादी 3.12 हैक्टेयर व खसरा न. 262 तादादी [illegible] हैक्टेयर व खसरा न. 263 तादादी 12.76 हैक्टेयर कायम हुये। केशराराम की मृत्यु के बाद उपरोक्त खेत खसरा न. 99 की खातेदारी उसके दोनो पुत्र बजरंगलाल व गिरधारीलाल के नाम से दर्ज हुयी [illegible] उक्त खेत का विभाजन बजरंगलाल व गिरधारीलाल के मध्य हुआ तो खेत खसरा न. 99/1 मिन तादादी 31 बीघा 8 बीस्वा उतरी तरफ की प्रतिवादी बजरंगलाल व दक्षिणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: Self-Attested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

तरफ की 31 बीघा 8 बीस्वा भूमि प्रतिवादी बजरंगलाल के भाई गिरधारीलाल के नाम से रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हुई तथा खसरा न. 99 की शेष भूमि नेशनल हाईवे न. 11 में चली गयी । खसरा न. 99/1 के नये खसरा न. 261, 262 कायम हुये । यह है कि वादगत खेत खसरा न. 423/50 तादादी 2.88 हैक्टेयर, खसरा न. 54 तादादी 4.92 हैक्टयर वाके रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ भी वादी के दादा केशराराम जी की खातेदारी के थे जो विरासतन प्रतिवादी बजरंगलाल यानि वादी के पिता को प्राप्त हुए। खेत खसरा न. 300 तादादी 23 बीघा 19 बीस्वा वाके रोही जैसलसर भी प्रतिवादी बजरंगलाल जी को विरासतन प्राप्त हुए और केशरारामजी की मृत्यु के बाद विरासतन रेवन्यू रिकॉर्ड में बजरंगलाल प्रतिवादी का नाम दर्ज हुआ। उपरोक्त सभी वादगत खेत वादी के दादा केशराराम जी की खातेदारी के है जो पैतृक खेत है। वादगत खेत प्रतिवादी बजरंगलाल की स्वअर्जित सम्पति नही है बल्कि केशरारामजी जो की वादी के दादा है की सम्पति है और केशरारामजी से विरासत में प्रतिवादी बजरंगलालजी को प्राप्त हुई है । वादी व प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण का परिवार अभी तक अविभाजित हिन्दू परिवार चला आ रहा है। वादगत खेत हिन्दू परिवार की अविभाजित सयुंक्त सम्पति है । वादी इस परिवार के का सहदायकी है। वादी का भी इस वादगत खेतो की सम्पति में हिन्दू कानून अनुसार हक व हिस्सा है परन्तु प्रतिवादीगण आपस में मिलीभगत किये हुए और वो वादगत सम्पति को हड़प करना चाहते है व वादी व गौणप्रतिवादी को पैतृक हक हिस्से से वचिंत कर देना चाहते है । प्रतिवादी बजरंगलाल बुर्जुग व्यक्ति हैं जो प्रतिवादी नौरंगलाल के पास रहता हैं । प्रतिवादी नौरंगलाल व अन्य प्रतिवादीगण ने बजरंगलाल प्रतिवादी को अपने नाजायज प्रभाव में ले रखा है और गुमराह कर रखा है । प्रतिवादीगण बजरंगलाल वादी के पिता की कमजोरी व वृद्धा अवस्था व भोलेपन व बिमारी का नाजायज फायदा प्रतिवादीगण उढा रहे है और नाजायज लाभ प्राप्त कर रहे है । वादी को प्रतिवादी बजरंगलाल से मिलने भी नही दे रहे है। दिनांक 06.09.2024 को वादी प्रतिवादीगण के पास गया और प्रतिवादीगण से निवेदन किया की वो वादगत पैतृक खेतो मे अपना हक व हिस्सा लेकर खेतो का विभाजन करवाना चाहता है और रेवन्यू रिकॉर्ड में अपने पैतृक हक व हिस्से को अकंन करवाना चाहता है तो प्रतिवादीगण ने कहा कि तुम्हारा कोई हक व हिस्सा वादगत खेतो की भूमि में से नही मिलेगा । हमने इन खेतो का विक्रयपत्र सम्पादित व रजिर्स्टड हमारे नाम से करवा लिया है तथा रेवन्यू रिकॉर्ड में भी विक्रयपत्र का नामातरणकरण दर्ज करवा करके खेतो की खातेदारी भूमि अपने नाम से दर्ज करवाकर विभाजन भी करवा लिया है। हमने हमारी सेटीग से सब काम करवा लिया है। अब तुम्हारा कोई हक व हिस्सा इन खेतो में नही है और तुम्हारा हक व हिस्सा हड़प कर लिया है, तुम्हारे से जो होता हे कर लो। केशरारामजी का देहान्त वादी के जन्म होने के बाद हुआ था वादी ने प्रतिवादीगण की इस धमकी के बाद वादी ने वादगत खेतो की विक्रयपत्रो की नकले व रेवन्यू रिकॉर्ड की नकले प्राप्त की तब वादी को वादगत विक्रयपत्रो व विभाजन की जानकारी हुई तो वादी [illegible] दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है । प्रतिवादी बजरंगलाल [illegible] वादगत खेत खसरा न. 600/263 तादादी 4.82 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर [illegible] 1.64 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी ईशरराम व 1.4095 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी राधाकिशन व 1.2647 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नौरगलाल व 0.5058 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी प्रेमप्रक[illegible] महिया के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 12.04.2024 रजिर्स्टड दिनांक 12.04.2024 उप–पजियक कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में सम्पादित निष्पादित व रजिस्टर्ड करवाया है। यह दस्तावेज शुरु से ही शुन्य अवैध व

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

गैर कानूनी व प्रभावहीन दस्तावेज है। इस वादगत खेत में वादी व गौणप्रतिवादीगण का भी हक व हिस्सा है। वादी व गौणप्रतिवादीगण के कानूनी हक व हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार प्रतिवादी बजरंगलाल को नही था और ना ही है । यह दस्तावेज वादी के हितो के विपरीत है और यह दस्तावेज शुरु से ही शुन्य दस्तावेज है। प्रतिवादी बजरंगलाल ने वादगत खेत खसरा न. 261 तादादी 3.12 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि को प्रतिवादी राधाकिशन व नौरंगलाल को जरिये रजिर्स्टड विक्रयपत्र दिनांक 12.04.2024 को विक्रय कर दिया। यह विक्रयपत्र भी शुरु से ही शुन्य अवैध व गैर कानूनी व प्रभावहीन दस्तावेज है। इस वादगत खेत में वादी व गौणप्रतिवादीगण का भी हक व हिस्सा है। वादी व गौणप्रतिवादीगण के कानूनी हक व हिस्से को विक्रय करने का कोई अधिकार प्रतिवादी बजरंगलाल को नही था और ना ही है । यह दस्तावेज वादी के हितो के विपरीत है और यह दस्तावेज शुरु से ही शुन्य दस्तावेज है। इस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण कानूनन वादी के हक व हिस्से के खातेदार नही बन सकते। वादगत खेतो मे वादी व गौणप्रतिवादीगण का कानूनी रुप से खातेदारी के रुप में हक व हिस्सा बनता है जो वादी व गौणप्रतिवादीगण रेवन्यू रिकॉर्ड में अपना हक व हिस्सा दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है । वादी का वादगत खेतो में 1/9 हिस्सा व हक होता है । वादगत खेत खसरा न. 261 व 600/263 के सम्बंध में उपरोक्त वर्णित जो विक्रयपत्र सम्पादित प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है। दोनो ही विक्रयपत्र कानून की नजर में कोई मायना नही रखते है और दोनो ही विक्रयपत्र शूरु से शुन्य व अवैध दस्तावेज है जिससे प्रतिवादीगण कोई फायदा नही उठा सकते है। प्रतिवादीगण ने इन विक्रयपत्रो के आधार पर जो रेवन्यू रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवायी है वो निरस्त होने योग्य है । जिन्हे निरस्त किया जावें । वादी ने उक्त विक्रयपत्रो व रेवन्यू रिकॉर्ड की नकले प्राप्त होने के बाद फिर प्रतिवादीगण से सहमति से वर्णित विक्रयपत्रो को व दर्ज रेवन्यू इन्द्राज खातेदारी को निरस्त कराने हेतू दिनांक 12.09.2024 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से इन्कार हो गये। प्रतिवादीगण वादगत खेतो को हड़प करना चाहते है और वादी व गौण प्रतिवादीगण को उनके हक व हिस्से से वचिंत कर देना चाहते है। प्रतिवादीगण ने वादी को वादगत खेतो की भूमि से बेदखल करने व इस भूमि को खुर्दबुर्द करने व हस्तातरित करने की भी धमकिया दी है तथा वादी का हक व हिस्सा रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज कराने व विभाजन कराने से भी प्रतिवादीगण इन्कार हो गये ऐसी स्थिति में दावा व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादगत खेतो में वादी का सयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत खेत वादी व प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण के पैतृक खेत है जो वादी के दादा केशरारामजी के खातेदारी के थे । उक्त वादगत खेत वादी के हिन्दू परिवार की अविभाजित सम्पतियां है । वादी प्रतिवादीगण के साथ परिवार का सहदायगी सदस्य है जिससे वादी का वादगत खेतो में 1/9 हिस्सा कानूनन बनता है [illegible] के हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण को विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तातरण करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी अपने खातेदारी हिंतो का अधिकार रखता है। वादी/प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा न. 969/600 तादादी 1.4095 हैक्टेयर, खसरा न. 966/600 तादादी 1.64 हैक्टेयर, खसरा न. 968/600 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, 971/261 तादादी 1.56 हैक्टेयर, खसरा न. 970/261

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तादादी 1.56 हैक्टेयर, खसरा न. 967/600 तादादी 1.2647 हैक्टयर वाके रोही जैसलसर तथा खेत खसरा न. 423/50 तादादी 2.88 हैक्टेयर, खसरा न. 54 तादादी 4.92 हैक्टयर वाके रोही अभयसिंहपुरा तथा खसरा न. 598/559 तादादी 6.06 हैक्टयर, खसरा न. 600/263 दादी 4.82 हैक्टेयर वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित वादी के कानूनी हक व हिस्से के सयुक्त कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअदाजी व बाधा उत्पन्न नही करे तथा वादगत खेतो की खातेदारी भूमि को विक्रय दान वसीयत रहन आदि किसी प्रकार से हस्तातरण नही करे भूमि कि किस्म को नही बदले खेतो की भूमि को खुर्द बुर्द नही करे ना ही किसी प्रकार भूमि कि प्रकृति में बदलाव करे ना किसी प्रकार का कोई निर्माण करे ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के हितो पर विपरीत असर पड़ता हो व दौराने दावा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5, 10 व 13 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9, 11 ता 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 7 ता 9, 11 ता 12 अधिवक्ता को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पेश नहीं जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 13 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 बजरंग लाल के पिता केशराराम की खातेदारी भूमि थी। केशराराम की मृत्यु सन् 1965 से पूर्व हो गई थी । केशराराम की मृत्यु के बाद रोही ग्राम जेसलसर के खसरा नंबर 99 की 70 बीघा 11 बिस्वा भूमि जरिये नामांतरण सं. 16 दिनांक 01.06.1965 को बजरंग लाल के नाम से विरासतन दर्ज हुई क्योंकि यह भूमि गांव से काफी दूर थी इसलिए बजरंग लाल के छोटे भाई गिरधारी 3 लाल ने गांव के पास में स्थित भूमि लेने के लिए कहा तो बजरंग लाल ने अपने भाई की बात रखते हुए वह भूमि गिरधारी को दी व स्वयं जेसलसर की भूमि ली। परंतु उसके बाद आपसी रज्जामंदी से दोनों भूमियों में आधे–आधे हिस्से पर बजरंग लाल व गिरधारी ने काश्त करनी शुरू कर दी । इसके पश्चात प्रार्थी करीब 35 वर्ष पूर्व अपने परिवार से अलग हुआ तो प्रार्थी ने अपने जीवनयापन के लिए भूमि मांगी तब बजरंग लाल अप्रार्थी सं. 1 ने जेसलसर में स्थित अपनी [illegible] भूमि में से प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि देनी चाही तो प्रार्थी ने यह कहकर कि य[illegible] गांव से दूर है मेरे पास कोई साधन नहीं है मुझे तो गांव के नजदीक जो भूमि [illegible] के नाम से है, जिसमें आधा हिस्से पर आपका कब्जा काश्त है उसमें से मुझे [illegible] हिस्से की भूमि देवें । इस पर अप्रार्थी सं. 1 ने ख.नं. 598/559 की भूमि में से उत्तर की तरफ की 12 बीघा भूमि प्रार्थी को दे दी तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थी [illegible] 12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त में है। इसके अलावा गांव में एक रिहायशी भूखण्ड जो कि अप्रार्थी बजरंग लाल का था, में से भी आधा हिस्सा प्रार्थी को दे दिया । अब जेसलसर की रोही में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण प्रार्थी के मन में लालच आ गया और वह उक्त भूमि हडपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के लिये यह वाद न्यायालय में लेकर आया है। प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पुत्र लिछुराम को ख.नं. 598/559 में दक्षिण की तरफ की 12 बीघा भूमि बंटवारे में दे रखी है। इस के अलावा ख.नं. 423/50 व ख.नं. 54 की भूमि में से 12 बीघा पूर्व की तरफ अपने पुत्र अर्जुनराम, मध्य में 6 बीघा अपने पुत्र ईशरराम व पश्चिम दिशा में 12 बीघा अपने स्व. पुत्र रेवंतराम के वारिसान को दे रखी है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जीवनकाल में ही अपने सभी पुत्रों को उनके हिस्से के अनुसार भूमि दे रखी है । अप्रार्थी सं. 1 बजरंग लाल ने रोही अभयसिंहपुरा में स्थित भूमि में एक कुएं का निर्माण करवाकर दिया हुआ है जो बजरंग लाल के पुत्र अर्जुनराम व स्व. पुत्र रेवंतराम के वारिसान के कब्जा काश्त में है। कुएं की भूमि पर अर्जुनराम ने पक्के मकान बना रखे है जो करीब 10 वर्ष पूर्व बनवाये थे इसके अलावा रेवंतराम के वारिसान भी उक्त भूमि पर काश्त व रिहायश कर रहे है । इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि जो 9. बीघा आती है उससे ज्यादा यानि 12 बीघा काश्त करने के लिए दे रखी है माह अप्रेल, 2024 में प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के पास आया और उन्हें कहा कि 22 अप्रेल को मेरी पुत्री एवं पोती का विवाह है परंतु मेरे पास रूपये नहीं है इसलिये शादी में रूपये खर्च करने के लिये मुझे कुछ जमीन विक्रय करनी पडेगी वरना मैं शादी नहीं कर पाऊंगा चुंकि जमीन राजस्व रिकार्ड में आपके नाम से है इसलिए मैं बेच नहीं सकता आप कुछ जमीन बेचकर मुझे उस जमीन से प्राप्त रूपये देवें ताकि मैं शादी कर सकूं। इस पर अप्रार्थी सं. 1 ने उसे कहा कि तुम्हारे बाकी भाईयों से भी राय मशविरा कर लेते हैं उसके बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। यह कि इस पर अप्रार्थी सं. 1 ने अपने बाकी पुत्रों से राय मशविरा किया तो अप्रार्थी सं. 1 के पुत्र ईशरराम, राधाकिशन, नौरंगलाल ने इस पर एतराज जताते हुए कहा कि आप अगर जमीन बेचेंगे तो विक्रय की गई भूमि आपके द्वारा बेची हुई मानी जायेगी बाद में जब पैतृक भूमि का बंटवारा होगा तो बची हुई भूमि में से उदाराम अपना बराबर का हिस्सा मांगेगा इस प्रकार हमें हमारे हिस्से की भूमि कम मिलेगी इसलिए आप ऐसा कोई इंतजाम करें ताकि ना हमें घाटा हो और ना ही उदाराम का काम भी बिगड़े तब अप्रार्थी सं. 1 ता 4 व प्रार्थी ने बैठकर यह तय किया कि अप्रार्थीगण 2 ता 4 को उनके हिस्से की भूमि जरिये बैयनामा रजिस्टर्ड करवा दी जावे तथा कुछ भूमि अन्य को विक्रय कर उससे प्राप्त विक्रय राशि उदाराम को दे दी जावे ताकि उदाराम अपनी पुत्री व पोती का विवाह आराम से करे । इस पर अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रोही जेसलसर के ख.नं. 261 तादादी 3.1200 हेक्टेयर भूमि राधाकिशन, नौरंगलाल को विक्रय कर दी तथा रोही जेसलसर के ख.नं. 600/263 की 4.8200 हेक्टेयर भूमि में से पश्चिम की तरफ की 0.5058 हेक्टेयर प्रेमप्रकाश महिया पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी अभयसिंहपुरा को 45,00,000/- रूपये में जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी तथा इसी भूमि में से [illegible] तथा 1.2647 हेक्टेयर 1.6400 हेक्टेयर भूमि ईशरराम व 1.4095 [illegible] इस प्रकार प्रेमप्रकाश से भूमि नौरंगलाल को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय [illegible] पोती के विवाह में प्राप्त प्रतिफल की राशि में से प्रार्थी [illegible] प्रार्थी की मौजूदगी में उपयोग में लेने के लिए रूपये दिये [illegible] 598/559 में प्रार्थी के और उसकी पूर्ण सहमति से किया [illegible] अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किये गये हिस्से की पर्याप्त भूमि पड़ी है। प्रार्थी ने अपने वादपत्र में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किये गये विक्रय पत्र जो अप्रार्थीगण ईशरराम, राधाकिशन, नौरंगलाल व प्रेमप्रकाश के हक में निष्पादित किये गये है, को अवैध व शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है चुंकि उपरोक्त विक्रय पत्र शुन्य व अवैध नहीं है इसलिए न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा यह अनुतोष प्रार्थी को कानूनन नहीं दिया जा सकता। प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में नहीं होने तथा पूर्ण कोर्ट फीस व अंदर मियाद नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 5 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 5 ने यह भूमि इस भूमि के खातेदार बजरंग लाल पुत्र केशराराम जाति जाट निवासी जेसलसर यानि अप्रार्थी सं. 1 से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की है । अप्रार्थी सं. 5 ने जब यह भूमि खरीद की थी तब इस भूमि का राजस्व रिकार्ड देखा था राजस्व रिकार्ड में यह भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज थी जिसे देखकर अप्रार्थी सं. 5 ने कानूनन रूप से पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड बैयनामा करवाया है। अप्रार्थी सं. 5 सद्भाविक क्रेता है उसके द्वारा कानूनन रूप से वैध तरीके से खरीदी हुई भूमि का बैयनामा अवैध व शुन्य घोषित नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी सं. 5 ने प्रार्थना गत भूमि में से केवल 0.5058 हेक्टेयर भूमि खरीद की है जिसकी पूर्ण कीमत अदा की है। अप्रार्थी सं. 5 ने जिस समय भूमि खरीद की थी उस समय विक्रेता के पास रिकार्ड में 84 बीघा से ज्यादा भूमि थी । प्रार्थी के अनुसार उसका अपनी पैतृक भूमि में 1/9 हिस्सा यानि 9.50 बीघा भूमि आती है इस प्रकार विक्रेता अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि से कई गुणा भूमि दर्ज है इसलिए अप्रार्थी सं. 5 ने प्रार्थी का हिस्सा नहीं खरीद किया है। प्रार्थी का हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 की बकाया भूमि में कायम है। अप्रार्थी सं. 1 ने ख.नं. 598/559 की भूमि में से उत्तर की तरफ की 12 बीघा भूमि प्रार्थी को दे रखी है जिस पर दिये जाने के दिन से लेकर आज दिन तक प्रार्थी उक्त 12 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त में है। अब जेसलसर की रोही में जमीनों के भाव बढ़ जाने के कारण प्रार्थी के मन में लालच आ गया और वह उक्त भूमि हडपने के लिये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में लेकर आया है । प्रार्थी के अलावा अप्रार्थी सं. 1 ने अपने पुत्र लिछुराम को ख.नं. 598/559 में दक्षिण की तरफ की 12 बीघा भूमि बंटवारे में दे रखी है। इस के अलावा ख.नं. 423/50 व ख.नं. 54 की भूमि में से 12 बीघा पूर्व की तरफ अपने पुत्र अर्जुनराम, मध्य में 6 बीघा अपने पुत्र ईशरराम व पश्चिम दिशा में 12 बीघा अपने स्व. पुत्र रेवंतराम के वारिसान को दे रखी है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जीवनकाल में ही अपने सभी पुत्रों को उनके हिस्से के अनुसार भूमि दे रखी है । इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के हिस्से में आने वाली भूमि जो 9.50 बीघा आती है उससे ज्यादा यानि 12 बीघा काश्त करने के लिए दे रखी है । अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा रोही जेसलसर के ख.नं. 261 तादादी 3.1200 हेक्टेयर भूमि राधाकिशन, नौरंगलाल को विक्रय कर दी तथा रोही जेसलसर के ख.नं. 600/263 की 4.82[illegible] हेक्टेयर भूमि में से पश्चिम की तरफ की 0.5058 हेक्टेयर प्रेमप्रकाश महिया पुत्र किशनाराम जा[illegible] निवासी अभयसिंहपुरा को 476047/— रूपये में जरिये रजिस्टर्ड [illegible] इसी भूमि में से 1.6400 हेक्टेयर भूमि ईशरराम व 1.4095 हेक्टेयर राधाकि[illegible] को तथा 1.2647 हैक्टेयर भूमि नौरंगलाल को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा विक्रय कर दी, विक्रय पत्र के अनुसार ही कब्जा सौंप दिया गया था, जिसके अनुसार अप्रार्थी के [illegible] के चारों ओर सीमा कायम कर रखी है। ये तमाम संव्यवहार प्रार्थी की मौजूदगी में और उसकी पूर्ण सहमति से किया गया था । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा किये गये विक्रय पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

जो अप्रार्थीगण ईशरराम, राधाकिशन, नौरंगलाल व प्रेमप्रकाश के हक में निष्पादित किये गये है, को अवैध व शुन्य घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि उपरोक्त विक्रय पत्र शुन्य व अवैध नहीं है इसलिए न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा यह अनुतोष प्रार्थी को कानूनन नहीं दिया जा सकता । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार में नहीं होने तथा पूर्ण कोर्ट फीस व अंदर मियाद नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 10 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत खेत पैतृक खेत है। पक्षकारों के किसी का भी वादगत खेत स्वअर्जित खेत नही है। मुझ प्रतिवादी का भी रेवन्तराम की पत्नि होने से हक व हिस्सा इन वादगत खेतों में बनता है। मुझ प्रतिवादी भी अपना हक व हिस्सा वादगत खेतों में घोषणा करवाना चाहती है। वादी व प्रतिवादीगण मुझे वादगत खेतों से बेदखल करना चाहते है। मेरे पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का सन्तुलन व अपूर्व्यक क्षति का सिद्वान्त मेरे पक्ष मे है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अर्ज है कि वादी व प्रतिवादी स. 1 ता 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्णित फरमाया जावे कि वो वादगत खेतों से मुझ अप्रार्थी के कब्जा उपयोग मुझे बेदखल नही करें तथा ऐसा कोई कृत्य नही करें जिससे मेरे हितों पर विपरित असर पडता है एवं तादावा फैसला राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 व 13 के अधिवक्ता की बहस का खंडन करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाकेरोही जैसलसर के 3 खसरों में से 2 खसरों को विक्रय किया गया है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर है। विक्रय किये खसरों एवं शेष खसरों की किमत में बहुत अन्तर है। विक्रय किये गये खसरों में भी हमारा हक हिस्सा बनता है। प्रार्थी का हिस्सा सुरक्षित रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादगत खसरान की 21.80 हैक्टेयर भूमि में से 7.94 हैक्टेयर भूमि का विक्रय वाकेरोही जैसलसर खसरा नम्बर 261 तादादी 3.1200 हैक्टेयर भूमि राधाकिशन (अप्रार्थी संख्या 3), नौरंगलाल (अप्रार्थी संख्या 4) को एवं वाकेरोही जैसलसर खसरा नम्बर 600/263 तादादी 4.8200 हेक्टेयर भूमि में से 0.5058 हेक्टेयर भूमि प्रेमप्रकाश महिया (अप्रार्थी संख्या 5), 1.6400 हेक्टेयर भूमि ईशरराम (अप्रार्थी संख्या 2), 1.4095 हेक्टेयर भूमि राधाकिशन (अप्रार्थी संख्या 3) व 1.2647 हेक्टेयर भूमि नौरंगलाल (अप्रार्थी संख्या 4) को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दावा दायरी से पूर्व ही कर दि[illegible] राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा नम्बर 969/600 तादादी 1.4095 हैक्टे[illegible] खसरा नम्बर 966/600 तादादी 1.64 हैक्टेयर, खेत खसरा न[illegible]968/600 [illegible] 0.5058 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 971/261 तादादी 1.56 [illegible] नम्बर 970/261 तादादी 1.56 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 967/600 [illegible] 1.2647 हैक्टयर वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में दर्ज है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 सद्‌भावी क्रेतागण है जिन्होने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा भूमि क्रय की है। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 अपनी खरीदशुदा भूमि पर अलग अलग काबिज एवं रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉडेड खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

के विरूद्ध अंस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना विधिसम्मत नहीं है। यद्यपि प्रार्थी का तर्क है कि भूमि पैतृक है जिसमें प्रार्थी का 1/9 हिस्सा कानूनन बनता है। जिसका निर्धारण मूल वाद में पूर्ण साक्ष्य उपरान्त ही किया जाना है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई कुल 7.94 हैक्टेयर भूमि में से 7.4342 हैक्टेयर भूमि का विक्रय अपने ही पुत्रों अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को ही किया गया है। क्रेतागण अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 का भी प्रार्थी के समान 1/9–1/9 हिस्सा कानूनन बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई भूमि का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 एवं अप्रार्थी संख्या 1 के कुल 4/9 हिस्से की भूमि के रकबे से कम है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विक्रय अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 एवं स्वयं के कुल 4/9 हिस्से की भूमि के रकबे से ही किया गया है। विक्रय पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान में कुल 13.86 हैक्टेयर भूमि वाकेरोही जैसलसर खसरा नम्बर 598/559 तादादी 6.06 हैक्टेयर एवं वाकेरोही अभयसिंहपुरा खसरा नम्बर 423/50 तादादी 2.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 तादादी 4.92 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। शेष कुल 13.86 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 13 के हक हिस्से की कुल भूमि 5/9 हिस्से की पूर्ति हेतु पर्याप्त एवं सुरक्षित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 व 13 द्वारा अपने जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि पारिवारिक मौखिक विभाजन अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को खसरा नम्बर 598/559 तादादी 6.06 हैक्टेयर वाकेरोही अभयसिंहपुरा की भूमि में से उत्तर की 12 बीघा भूमि दे रखी है एवं जिस पर कब्जा काश्त भी प्रार्थी का ही है, जो कि प्रार्थी के हक हिस्से 1/9 भूमि के रकबे से अधिक है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 969/600 तादादी 1.4095 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 966/600 तादादी 1.64 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 968/600 तादादी 0.5058 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 971/261 तादादी 1.56 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 970/261 तादादी 1.56 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 967/600 तादादी 1.2647 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 598/559 तादादी 6.06 हैक्टयर, खेत खसरा नम्बर 600/263 तादादी 4.82 वाके रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ एवं खेत खसरा नम्बर 423/50 तादादी 2.88 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 4.92 हैक्टयर वाके रोही अभयसिंहपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 23.[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.03.10 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ